


( जांच बिंदु चेकप्वाइंट )

केंद्र विद्यालय एनएफसी नगर में 4 अप्रैल 2022 को राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 के समुचित अनुपालन के लिए प्रभावी जांच बिंदु का निर्धारण किया गया है। इन नियमों का अनुपालन संबंधित अधिकारी एवं अनुभाग करेंगे -

- 1 - राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 ( 3 ) के अंतर्गत सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाएंगे।
- 2 - नियम 1976 के नियम 8 ( 4 ) के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी कार्य केवल राजभाषा हिंदी में करेंगे।
- 3 - हिंदी पत्राचार के अंतर्गत का और क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र में राजभाषा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन हिंदी में किया जाएगा कार्यालय के सभी कंप्यूटर में द्विभाषी कार्य की व्यवस्था की जाएगी।
- 4 - प्रेषित पत्रों के लिफाफा ऊपर देवनागरी लिपि में ही लिखना सुनिश्चित किया जाए।
- 5 - राजभाषा के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे।
- 6 - नियम 11 के पालन के अंतर्गत कार्यालय में मौजूद नाम पर रबड़ की मोहरे पत्र शीर्ष इत्यादि द्विभाषी रूप में ही बनवाये जाएंगे।
- 7 - सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।
- 8 - विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय का 50% हिंदी तथा शेष 50% अन्य भारतीय भाषाओं या अंग्रेजी में हो।

  
हिंदी प्रभारी


दिनेश कुमार ( स्नातकोत्तर शिक्षक )

कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकारी

वरिष्ठ सचिवालय सहायक

स्नातकोत्तर संगणक शिक्षक

मुख्य अध्यापिका प्राथमिक विभाग

  
श्रीनिवास राव

प्राचार्य PRINCIPAL  
केंद्रीय विद्यालय, Kendriya Vidyalaya  
एन.एफ.सी. नगर, N.F.C. Nagar  
घटकेसर, Ghatkesar  
जिला रंगारेड्डी, Dist. Ranga Reddy